अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(2)वित्त/बीमा/2020 पार्ट   जयपुर दिनांक 10 DEC 202

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–हिन्दीकरण आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग से प्राप्त अ. शा. टीप दिनांक 08.12.2021 के साथ कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल, शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.10.2021 की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–एफ1(a)161/संस्था/बीमा/2021 10809-58   दिनांकः 20-12-2021

वरिष्ठ अति./अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय/संभाग/जीआईएस/सचिवालय/समस्त जिला कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

20/12/2021

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
राजस्थान, जयपुर

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(2)वित्त/बीमा/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 10 DEC 2021

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—हिन्दीकरण आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग से प्राप्त अ. शा. टीप दिनांक 08.12.2021 के साथ कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल, शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.10.2021 की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
वित्त (समन्वय) विभाग

विषयः– हिन्दीकरण आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग से प्राप्त उनका परिपत्र क्रं.–प. 1(237)भापुवि/जय/ रचना/पर्व/18/1514, दिनांक 20.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि परिपत्र में दिये गये निर्देशों *"हिन्दी प्रयोग के सम्बन्ध में जारी आदेशों की अनुपालना कड़ाई से की जाए और प्रत्येक शासन सचिव एवं कर्मचारी समस्त कार्यों में हिन्दी का ही प्रयोग करें। जिन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है उसमें अन्य किसी भाषा का प्रयोग न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिन विभागों में राजभाषा सम्बन्धी आदेशों की अनुपालना का लेखा–जोखा लेने के लिए क्रियान्वयन समितियां बनी हुई है उनमें उन समितियों की बैठकें समय–समय पर होती रहें, इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जो राज्य सेवक इसमें जरा भी शिथिलता बरतते पाये जाये उन्हें तुरन्त आगाह किया जाये। समस्त रिपोर्टें, कार्यवृत्त और सभी प्रशासनिक आदेश हिन्दी में ही हों इसकी अनुपालना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।"* की आपके अनुभाग/अधीनस्थ विभागों में पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग।

अशा. टीप संख्या प0 3(1)वित्त/समन्वय/2021
जयपुर, दिनांक 3/12/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमख शासन सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।

उप शासन सचिव

Room No. 5125, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227921 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - isfcoord@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

क्रमांकः प. 1(237)भापुवि/जय/रचना/पर्व/18 1514 जयपुर, दिनांकः 20/10/21

परिपत्र

विषय :-हिन्दीकरण आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

आज्ञा संख्या 1(237)भा.वि.(67-68)5998 दिनांकः 28.07.78 तथा आज्ञा संख्या 5080 दिनांकः 29.08.79 द्वारा इस राज्य के सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के आदेश प्रसारित कर सभी राज्य-सेवकों को निर्देश दिये गये थे कि वे सभी प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करेंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्य सचिव महोदय ने आदेश क्रमांकः 5440-5940 दिनांकः 29.11.1997 तथा क्रमांकः 3979-4354 दिनांकः 26.05.2001 तथा इस कार्यालय द्वारा दिनांकः 05.08.2010, 2045-2645 दिनांकः 21.06.2012, 9170-9631 दिनांकः 28.04.2015 एवं 3486-3746 दिनांकः 11.09.2019 के द्वारा स्मरण कराया गया था। पूर्व में जारी आदेशों में भी यह स्पष्ट किया गया था कि कुछ कार्यों में देवनागरी में लिखित हिन्दी का प्रयोग होने पर ही वे मान्य माने जायेंगे, अन्यथा नहीं। उसके बावजूद यह पाया गया है कि अनेक विभागों में अभी इन कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। राज्य सरकार इस स्थिति को ठीक नहीं मानती।

इसलिए पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि हिन्दी प्रयोग के सम्बन्ध में जारी आदेशों की अनुपालना कडाई से की जाए और प्रत्येक शासन सचिव एवं कर्मचारी समस्त कार्यों में हिंदी का ही प्रयोग करें। जिन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है उसमें अन्य किसी भाषा का प्रयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिन विभागों में राजभाषा सम्बन्धी आदेशों की अनुपालना का लेखा-जोखा लेने के लिए क्रियान्वयन समितियां बनी हुई है उनमें उन समितियों की बैठकें समय-समय पर होती रहें, इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जो राज्य सेवक इसमें जरा भी शिथिलता बरतते पाये जायें उन्हें तुरन्त आगाह किया जाये।

समस्त रिपोर्टें, कार्यवृत और सभी प्रशासनिक आदेश, विशेषकर वे जो साइक्लोस्टाइल या मुद्रित होकर जारी हों, हिन्दी में ही हों इसकी अनुपालना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कृपया समस्त अधीनस्थ/कार्यालयों/अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इन निर्देशों से अवगत कराने का श्रम करें।

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः प. 1(237)भापुवि/जय/रचना/पर्व/18 1514-28 जयपुर, दिनांकः 20/10/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीमण्डल के समस्त माननीय सदस्य।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव।

6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
8. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
9. समस्त प्रबन्ध निदेशक/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थान/मण्डल/उपक्रम
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, लोकायुक्त, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
15. समस्त अधिकरण/समस्त विश्वविद्यालय

18/10/21
(विष्णु गोयल)
निदेशक एवं पदेन
शासन उप सचिव